

स स्थय ि ल त्र
स स्थय ि ल ि

अतारंकित प्रश्न ख 930
07.02.2020 प्रश् त

८

930. श्री
श्री प्र
श्री ि
श्री
श्री ि
श्री ि
श्री ि
श्री
श्री ढ ि

सुश्री दिया कुमारो:

श्री ि
श्री भानु प्रताप सिंह वमा:
श्री ि
श्री कोमती रेड्डी वकट रेड्डी:
श्री ि
श्री
श्री ि इ
श्री एस.आर. पार्थिवन:
श्री हिबी ईडन:
श्री ि
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री

श्री श्रीनिवास दादासाहब पाटोल:

श्री फि फि ो

श्री ो ो

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री ो

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

श्री फि ल

श्री

श्री फि फि

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा : फि

(क) आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) के अंतगत निर्धारित क्षि, को गई प्रगति, फि
फि फि लाभान्वित लाभार्थियों का ख, जारी किए गए कार्डों की संख्या और चिकित्सा
ज / ज क्षेत्र- ड क ;

() इसके अंतगत पैनलबद्ध अस्पतालों और स्वीकृत सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों की
ज / ज क्षेत्र- स - संख्या कितनी है और इनके चयन/पैनलबद्धीकरण के
फि क ;

(ग) क्या कुछ राज्यों द्वारा एबीवाई को लागू नहीं किया जा रहा है फि ,
सभी राज्यों में लागू करने के लिए क्या कदम ;

() क ; फि ए फि फि फि
फि फि , क ;

(ड) एबीवाई के तहत दुरुपयोग प्रवण पैकेजों फि क
और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस हेतु दोषी अस्पतालों के
फि रुद्ध क कारवाई की गई है और कितने मामले दर्ज किए गए ;

() क ए फि फि
नता/राज्यों से कोई सुझाव/शिकायत प्राप्त हुई फि , त ब्यौरा क्या है
फि क और इसके लिए क्या निगरानी तंत्र तथा शिकायत
फि प्रो ड ;

(छ) एबीवाई के अंतगत चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों/संपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त फिफ्ट / -मोडक्स नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ज) उन दावों का प्रतिशत क्या है जिन्हें आज तक इस योजना के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- , फिफ्ट श्रृंखला में, सफाई ?

स्वास्थ्य फिफ्ट जर्न (श्रृंखला में)		त	जर्न (श्रृंखला में)
() ():	स्वास्थ्य	ग	केन्द्रों (- ब्ल) ।
	फिफ्ट		
• फिफ्ट 2018-19		= 15,000	
• फिफ्ट 2019-20		= 25,000	(90,000)
• फिफ्ट 2018-19		= 30,000	(70,000)
• फिफ्ट 2018-19		= 40,000	(1,10,000)
• फिफ्ट , 2022		= 40,000	(1,50,000)
- ब्ल	क्षेत्र	ट के फिफ्ट	फिफ्ट
फिफ्ट 2019-20	40,000	क्ष	राज्यों/ ज
क्षेत्रों फि 62,000	- ब्ल	।।	- ब्ल
, 30.01.2020	29214	-एचडब्ल्यूसी	
2019-20	-एचडब्ल्यूसी	कायान्वयन	फिफ्ट ज /
ज क्षेत्र ड	ग -1 फि	31.01.2020	।
। फि	ट के फि	।	स्क्रीनिंग ज ड
ग -II फि			
उ	प्र	त्र	ग (-एचडब्ल्यूसी) उद्देश्य
आर्थिक फि	()	फिने फि	
10.74	।	परिवारों	प्रतिवर्ष प्रति फि 5 रु

स्वास्थ्य प्र 4.2.2020 32 राज्यां/ ज क्षेत्रों -एचडब्ल्यूसी
11,285.64 रू 80.61 फि सु - फि :

।

419 फि फि ि, ि फि - फि, सु भक्तियां ।
ख ि ि फि फि ि ज / ज क्षेत्र ढ ग -III
फि

4.2.2020 , सा 21,789 सु ि ढ फि
। फि फि स्पेशियलिटी, ल। स्पेशियलिटी स्पेशियलिटी
सु फि से फि ढ सु ि ढ ि ि
www.pmjay.gov.in फि (<https://hospitals.pmjay.gov.in/Search/>)

ढ

-एचडब्ल्यूसी राज्यां ि ि सु ि (फि
स्वास्थ्य न्द्र) सु ि प्र फि ढ
ज स्वास्थ्य फि ि ध , ज
फि फि ि सु ढ फि -निदर्शा
क्षेत्राधिकार फि सु ि ढ फि लाभितयां स्वास्थ्य
फि प्र ि सु ि ढ ि फि -निदर्श
राज्यां ि फि

ढ फि ि प्र श्रेणियां -

() न - सु ि फि फि
-फि ज न फि ि प्र

() फि (क फि स्पेशियलिटी फि) - प्रत्येक स्पेशियलिटी फि , ि
विशिष्ट निर्धारित फि फि ज के फि प्र
फि सु फि रू श विशिष्ट
ढ फि न ि त्र सु ि
श्रे ढ फि

() : ष - स्वास्थ्य म केन्द्रों ङ ष
 ष प्र ि स्वास्थ्य ि प्र त ि -निदर्शा - ब्ल
 जरूरता ि म विहित ि -

ि न्द्र	विहित
-केन्द्र - - ब्ल	<ul style="list-style-type: none"> ि स्वास्थ्य ि ा () देश ि
- - ब्ल	<ul style="list-style-type: none"> ि ति ि ा रु तर्कनिशियन फार्मासिस्ट ि स्वास्थ्य

क ि रु स्वास्थ्य केन्द्रों स्वास्थ्य केन्द्रों
 प्र ि ा प्र - ब्ल रु
 प्र त ि -निदर्शा विहित न त ि -
 ब्ल क ि ि क ा ब सुनिश्चित क्ष
 ि , राज्यां श ा ति प्र ा ा
 ि ि क प्रंत ि - ब्ल रु
 ि ि श ि रिक्त ि ि
 ि राज्यां प्रोत्साहित

() : - द्व स्वास्थ्य ि प्र द ि ि ा
 क ि ि ि द विभिन्न स्तरां ा ि -निदर्शा ि
 ि ि राज्यां द रु ि प्र ि ा द ि
 4.2.2020 , - ि ि ा प्र ि ज / ज
 ष म -IV ि श्र ि ि ि ा प्र ि 0.75%

33	प्र	245.17	195.82
34		25.73	25.13
35		79.55	61.55
36		42.64	31.25
		1,591.15	1,250.47

पि

1. क - स्वास्थ्य
ग कद्र पि
- 2.
3. - स्वास्थ्य ग न्द्र प्रस्ताव ा प्राप्ति ि
दिल्लो ज क्षेत्र प्र ि पि कर््याक दिल्लो
स्वास्थ्य ग न्द्र ि
4. ति 2019-20 पि पि 23.01.2020 द पि
पि
5. उपयुक्त पि न्द्र ि पि ज हिस्से
पि पि
6. उपयुक्त पि म श पि पि पि केन्द्रीय
45.38 रू क्ष 31.10.2019 म श
द पि ज क्षेत्रों क पि पि
7. म श ज ा पि पि 38.21
रू द पि पि 7.17 रू

-एचडब्ल्यू

ट कितर्यां और जांचे गए व्यक्तियों का राज्य ढ

क्र.	ज	ट के	क ट	क ट	क ट	क ट	क ट
1	ट	25,99,687	16,76,310	14,13,362	9,18,734	4,28,884	1,90,255
2	रु	16,91,744	3,18,120	2,60,914	1,48,747	72,300	31,392
3	उत्तर प्रदेश	1,09,12,622	20,04,313	14,50,223	5,77,664	1,72,344	74,473
4	रि	90,16,009	16,92,113	14,71,331	10,96,036	4,15,993	2,06,447
5	ध प्र	44,31,288	13,39,907	12,28,574	9,15,967	2,61,210	86,942
6	रि	19,90,930	1,34,795	66,249	6,486	3,395	3,063
7		5,38,463	1,09,529	61,429	34,242	19,842	5,725
8	ट	3,68,235	1,28,056	1,02,965	66,601	37,408	5,326
9	रि	50,21,722	73,40,118	55,42,402	3,43,978	23,67,073	18,31,439
10	रि	29,91,090	3,84,675	3,30,730	2,06,582	1,06,409	34,321
11	ष्ट	33,55,694	32,51,545	31,09,664	25,34,192	10,91,960	6,46,269
12		49,38,835	5,95,876	5,53,040	2,33,422	35,163	12,108
13	शे	11,016	5,30,571	4,29,304	1,15,474	60,067	14,673
14		8,60,578	7,17,213	4,15,212	2,13,126	1,52,241	59,406
15		1,03,21,731	20,73,231	20,50,585	14,57,768	7,04,234	6,06,720
16	ध प्र	1,54,53,028	24,19,643	22,22,728	16,36,606	8,15,909	7,92,918
17		66,56,074	2,44,475	1,06,166	4,411	836	1,249
18	म शे	2,48,190	76,467	73,475	45,297	15,694	2,329
19		20,59,122	43,82,649	42,46,168	42,90,075	22,75,808	17,41,844
20	रि प्र	7,66,065	3,08,824	1,69,780	52,823	22,079	10,841
21		2,53,858	10,354	9,281	8,357	4,375	2,651
ज क्षेत्र							
22	रि	18,07,119	33,858	28,350	20,182	6,300	1,304
23	रि	1,49,364	1,45,287	1,44,094	1,19,285	41,928	12,942
24	निकोबार द्वीप	2,12,577	11,909	11,360	10,790	5,974	2,963
25	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
26		1,20,349	22,532	20,830	5,023	2,397	1,482

27	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
28	र	1,25,554	27,218	26,255	24,973	15,401	15,017
रु							
29	त्रि	2,50,143	45,288	38,589	26,467	12,424	9,427
30		21,02,024	7,24,472	6,43,200	6,24,433	3,28,622	4,384
31		1,70,463	33,590	28,916	26,800	17,469	1,262
32	रु प्र	20,275	7,951	6,892	3,515	1,744	215
33	रि	66,050	36,637	32,877	28,577	18,679	5,379
34	रि	35,775	5,789	2,467	1,284	939	141
35		44,994	7,143	3,455	0	0	0
36	रि के	96,954	19,173	18,970	18,543	7,940	1,801
रु							
37	रु	29,851	0	0	0	0	0
		8,97,17,473	3,08,59,631	2,63,19,837	1,58,16,460	95,23,041	64,16,708

रु : र -एचडब्ल्यू {31.01.2020 (1200hrs) }

-पीएमजेएवाई के अंतर्गत राज्य/ क्षेत्रवार वि (04.02.2020 तक)					
ज / क्षेत्र	ज / क्षेत्रवार क्ष ()#	प्रदत्त ज / क्षेत्र		तां फां ख #	रु भर्तियार्ता को ख #
		फ () 2018-19	फ () 2019-2020		
	0.21	0.2	0.4	11,965	125
	144.00	182.9	107.1	0	6,11,325
उत्तर प्रदेश	0.90	2.3	-	1,069	1,628
फ	27.00	21.1	82.2	1,22,79,077	1,12,169
ध प्र	109.00	88.3	-	43,48,901	1,56,892
फ	0.70	0.7	1.5	47,452	3,219
	41.50	217.4	62.8	27,10,199	7,95,722
	0.70	3.3	-	2,77,438	27,578
	0.50	1	-	1,18,037	9,813
फ	0.40	0.6	0.1	21,079	10,084
फ	70.00	77.5	212.3	73,46,491	12,69,401
ध	15.50	26.8	50.4	18,74,424	87,824
	4.80	17.2	13.6	8,16,306	50,870
ध	6.10	20.6	19.3	11,42,247	61,252
	57.00	170.2	-	86,80,489	4,53,218
	115.00	159.3	85.9	97,82,874	5,19,067
ध प्र	40.90	25	97.6	62,80,933	8,23,349
	0.01	-	-	589	1
जम्मू और कश्मीर	118.00	72.6	84.6	1,38,29,213	2,73,272
	83.60	266.3	162	62,73,326	2,91,164
फ प्र	2.80	7.2	7.2	2,11,447	11,696
	8.40	15.6	14.8	15,53,912	1,05,355
ध	1.95	17.5	11.1	3,93,273	31,301
आंध्र प्रदेश*	5.70	4.7	-	2,44,901	8,219
रु प्र	1.00	1.5	-	98,041	676
**	45.87	2.2	24	40,83,773	1,34,972
फ	59.70	-	106.4	0	7,04,401
	0.40	1	-	28,431	958
	147.00	305	441.8	2,47,27,248	10,00,963
ध	4.90	12.8	5.6	8,86,141	51,696

	118.00	85	100.3	86,00,045	3,05,626
1	19.70	12.5	8	37,74,543	1,30,351
2	111.90	31.3	-		17,636
	1,363.14	1,850	1,699	12,04,43,864	80,61,823

* -काङ्ग राज्‍य के आईटी सिस्टम पर जारी किए गए हैं। ब्यौटा

**4.68 को अपनी आईटी प्रणाली का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं।

को स्कीम -पीएमजेवाई के तहत लाभान्वित लाभार्थियों से संबंध

स्रोत: स्कीम का क्रियान्वयन, 2019

वि / ज क्षेत्र वार ब्यौ (04.02.2020 त से वि)	किए गए दावा का प्रतिशतता
वि / ज क्षेत्र	8.70%
ध प्र	0.60%
अरुणाचल प्रदेश	0.30%
	7.00%
वि	8.80%
	3.80%
वि	5.30%
वि	3.20%
वि	1.70%
	0.00%
	0.10%
वि	3.30%
वि प्र	4.70%
जम्मू और कश्मीर का कद्र शासित प्रदेश और लद्दाख का कद्र शासित प्रदेश	1.30%
	4.10%
	2.10%
	14.60%
क्षद	0.00%
ध प्र	11.40%
ध प्र	2.30%
वि	2.80%
	0.50%
वि	1.00%
	1.80%
वि	0.30%
	2.90%
र Rajasthan	0.00%
वि के	1.50%
वि	1.70%
त्रि	8.40%
उत्तर प्रदेश	6.70%
वि	9.10%